

सं. डब्लू. 11042/67/2013- एनबीए

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

12वां तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली- 110003,
दिनांक 28 जुलाई, 2014

सेवा में,

प्रधान सचिव/ ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव

सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

विषय:- स्कूलों में वॉश (डब्लूइनएस) नेतृत्व पाठ्यक्रम के संबंध में।

महोदय/ महोदया

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने यूनिसेफ, भारत तथा भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, हैदराबाद (एएससीआई) के साथ भागीदारी करके देश के जल एवं स्वच्छता पेशवरों के लिए स्कूलों में वॉश (डब्लूइनएस) नेतृत्व पाठ्यक्रम का विकास किया है। इस पाठ्यक्रम को इस क्षेत्र में आई क्षमता संबंधी अंतर की कमी को पूरा करने का समाधान निकालने के लिए तैयार किया गया है जो कि गुणवत्ता परक शिक्षण, प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्रियों को इस प्रकार से तेजी से उपलब्ध कराएगा कि इससे महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।

इस पाठ्यक्रम को लक्ष्य है उन सभी लोगों तक पहुंचाना जो कि स्कूलों में वॉश के कार्यान्वयन के कार्य में लगे हों जिसमें जिला कलेक्टर सहित राज्य तथा जिला के स्वच्छता समन्वयनकर्ता, डब्लूइनएस में शामिल अन्य वरिष्ठ राज्य स्तरीय अधिकारी, शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े अधिकारी, एनजीओ तथा विकास के कार्य से जुड़े पेशेवर शामिल हों।

यह पाठ्यक्रम दूरस्थ ई-अध्ययन पाठ्यक्रम के माध्यम से वैशिक स्तर पर अनुभव प्रदान करेगा, जो कि यूनीसेफ तथा द ई रोलिंस स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्प, इमोरी यूनीवर्सिटी, अमेरिका के बीच तालमेल के माध्यम से तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम की समाप्ति पर सहभागियों को प्रमाणित पाठ्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय तथा वैशिक स्तर की उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों को जानने एवं समझने का अवसर मिलेगा, तथापि, इससे उन्हें जिला स्तर पर कार्य-योजनाओं पर कार्य करने का अवसर मिलेगा, जिसका लक्ष्य जिलों के स्कूलों में वॉश से जुड़ी गतिविधियों में सुधार लाना और उन्हें सतत रूप से बनाए रखना है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विवरण इस प्रकार है:-

दिनांक:- 20-23 अगस्त, 2014

स्थान: दिल्ली (स्थान विशेष की सूचना बाद में दी जाएगी)

पाठ्यक्रम की अनंतिम रूपरेखा इस प्रकार है:

दिन	विषय
पहला दिन 20 अगस्त	<ul style="list-style-type: none"> स्कूलों में वाश की प्रस्तावना- संकल्पना, स्थिति तथा अद्यतन नीतियाँ स्कूल कार्यक्रम में वाश की योजना तैयार करना अड्डचनों का विश्लेषण
दूसरा दिन 21 अगस्त	<ul style="list-style-type: none"> स्कूलों में बॉश के लिए व्यवहारगत परिवर्तन की कार्यनीतियाँ परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में स्कूली बच्चे तथा स्कूल लड़कियों के लिए विशेष विषय
तीसरा दिन 22 अगस्त	<ul style="list-style-type: none"> सरकार की भागीदारी तथा समर्थन स्कूली कार्यक्रमों में वाश का अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन स्कूली कार्यक्रमों के स्तर पर वाश की निरंतरता
चौथा दिन 23 अगस्त	<ul style="list-style-type: none"> स्कूलों में वाश प्रौद्योगिकियाँ स्कूलों में वाश की सुविधा में समानता आपातकाल स्थितियों में स्कूलों में वाश

पाठ्यक्रम की अवधि यद्यपि 4 दिन है, तथापि, पहले दिन का पाठ्यक्रम विशेष रूप से जिला कलेक्टरों तथा राज्य स्वच्छता के समन्वयनकर्ताओं को ध्यान में रखकर रखा गया है। तथापि, जिला स्वच्छता के समन्वयनकर्ता सभी चार दिन उपस्थित रहें।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित को नामित करें:-

- क) आपके राज्य से कम से कम पांच जिला स्वच्छता समन्वयकर्ता
 - ख) आपके राज्य से कम से कम 3 जिला कलेक्टर (कम से कम 20.8.2014 के लिए)
 - ग) राज्य स्वच्छता समन्वयकर्ता (कम से कम 20.8.2014 के लिए)
 - घ) कोई अन्य संबद्ध अधिकारी जिसके लिए यह प्रशिक्षण उपयुक्त हो।
- भावी सूचना आपको सीधे तौर पर देने के लिए एएससीआई तथा यूनीसेफ के प्रतिनिधि आपके संपर्क में रहेंगे।

भवदीय
५२४८८५८५

(सरस्वती प्रसाद)
संयुक्त सचिव (स्वच्छता)

प्रति:

- राज्य समन्वयनकर्ता, एनबीए, सभी राज्य/ संघ राज्य- क्षेत्र